

प्रेषक,

बलराम प्रसाद,  
उप सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।  
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक .....

विषय-  
महाशय,**M/s- Mahindra & Mahindra** के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s- Mahindra & Mahindra के द्वारा उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्राणित प्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model	T.A. CertificateNo/Date	Variants	Types of Vehicle
1	Mahindra Supro Minitruck	V.R.D.E-VALN 0013/06.10.2016	1. MAHINDRA SUPRO MINITRUCK VX 2. MAHINDRA SUPRO MINITRUCK CBC 3. MAHINDRA SUPRO MINITRUCK VX CBC 4. MAHINDRA SUPRO CARGO VAN 5. MAHINDRA SUPRO CARGO VAN VX	Light Goods Vehicle-N1
2	XUV 500 R FWD W4 Intelli Hybird	ARAI-AALH 0330/ 06.10.2016	1. XUV 500 R FWD W6 Intelli Hybird 2. XUV 500 R FWD W8 Intelli Hybird 3. XUV 500 R FWD W10 Intelli Hybird	Passanger Vehicle Normal Control-M1
3	Mahindra e- Supro Cargo Van	V.R.D.E-VALB 0001/22.07.2016	1. Mahindra e- Supro Cargo Van VX	Delivery van- N1
4	e20 Plus P4	ARAI-AALB 0317/ 30.09.2016	1. e20 Plus P2 2. e20 Plus P6 3. e20 Plus P8	4 Door Hatch Back Electric Vehicle M1

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/ मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा 6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- उपर्युक्त मॉडल एवं Variants का विक्री मूल्य डीलर संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- संबंधित Model का विक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : .....

पटना, दिनांक : .....

प्रतिलिपि--Authorised Signatory: For M/s- Mahindra & Mahindra Ltd., Automotive Sector, Alankar Business Center, East Boring Canal Road, Patna- को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : .....

पटना, दिनांक : 30/12/16

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि Vahan Software के Master Box में इस मॉडल की प्रविष्टि कर दिया जाय/ I.T. Manager, परिवहन विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि विभागीय Website पर Type ApProval का एक फोल्डर बनाकर इरामें इसकी Entry कर दी जाय।



उप सचिव, 30/12/16

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।